

कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
पत्रांक:- 24297-371/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आवकारी नीति/2018-19
दिनांक इलाहाबाद : जून 05, 2018

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय-वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की दुकानों के पंचम चरण में व्यवस्थापन विषयक।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-16905-16979/ दस-लाइसेंस-367/सुझाव आवकारी नीति/2018-19 दिनांक इलाहाबाद गई 20, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त पत्र द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु मदिरा की दुकानों के पाँचवें चरण का व्यवस्थापन ई-टेण्डर/आफर मांगकर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। ई-टेण्डर/आफर की टेविनकल विड दिनांक 05.06.2018 को एवं फाइनैशियल विड दिनांक 06.06.2018 को खोला जाना निर्धारित किया गया था।

अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त ई-टेण्डर/आफर की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(धीरज साह)
आवकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

24372-640
पत्रांक: /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आवकारी नीति/2018-19/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, आवकारी विभाग, वापूयवन, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि समस्त जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से उपरोक्त आदेश से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- समस्त संयुक्त आवकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
- 6- संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का प्रदर्शन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 7- समस्त उप आवकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त जिला आवकारी अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का प्रदर्शन जनपद की वेबसाइट एवं ई-टेण्डर पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें।
- 9- आवकारी आयुक्त द्वारा नामित समस्त सदस्य, जिला स्तरीय समिति, उ०प्र०।
- 10- गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(अ०ग० त्रिपाठी)
05/06/18

अपर आवकारी आयुक्त,
(लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास)
उत्तर प्रदेश